

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू



पीठासीन अधिकारी :-

राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल
आर.ए.एस.

अपील संख्या :- 47/2019

मंगलाराम उम्र 52 साल पुत्र स्व हनुमान जाति गुर्जर, निवासी नांगलिया गुजरवास, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनू।

—अपीलार्थी

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनू।

— रेस्पोंडेन्ट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी
उनवानी सरकार बनाम मंगलाराम अंधारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 12/2018 निर्णय दिनांक 30.07.2018

उपस्थिति:-

1. श्री उम्मेदराज सैनी , एडवोकेट ----- अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, एडवोकेट----- रेस्पोंडेन्ट की ओर से ।

—निर्णय—

दिनांक 29.7.2019

उक्त अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 30.7.2018 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम मंगलाराम मु0न0 11/2018 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार तहसीलदार खेतड़ी के विरुद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि—अदालत मातहत ने अपीलांट को जमीन खसरा नंबर 781 एवं 802 किस्म गैर मु0 बणी सरहद मौजा नांगलिया गुजरवास तहसील खेतड़ी में 300 वर्ग मीट भूमि पर मकान व चारदिवारी बना होना मानकर बेदखल करने व 50 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का निर्णय पारित किया है। पारित निर्णय खिलाफ कानून होने से खारिज होने योग्य है। अपीलांट का विवादग्रस्त भूमि पर उसके पिता के समय से ही कब्जा चला आ रहा है। सन 1997 में अपीलांट के पिता हनुमान के खिलाफ धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत तहसीलदार के यहां कार्यवाही शुरू की थी, उसमें अदालत ने अपीलांट के पिता की अपील स्वीकार फरमाते हुए आवंटन नियमन सलाहकार समिति के समक्ष पत्रावली प्रेषित करते हुये धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही डोप की थी, इसलिए अपीलांट का पुराना कब्जा होते हुये भी बेदखली का आदेश विरुद्ध कानून होने से निरस्त होने योग्य है। इसी तरह से अपीलांट के पिता के खिलाफ न्यायालय नायब तहसीलदार ने दिनांक 07.12.1995 को मिसल 369/95 में कार्यवाही डोप करते हुये नियमन हेतु सिफारिश की गई थी और

५०
अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू



1992 में भी तहसीलदार खेतड़ी द्वारा इसी प्रकार नियमन की सिफारिश की गयी थी। इस प्रकार विवादित भूमि पर अपीलांट का पीढियों से पुराना कब्जा होना साबित है। लेकिन इसके बावजूद भी हल्का पटवारी द्वारा गलत रिपोर्ट के आधार पर उक्त बेदखली का आदेश पारित किया है जो चिरस्त होने योग्य है। अपीलांट के विरुद्ध पटवारी हल्का राजनैतिक प्रभाव में आकर बार-बार विधियाँ अतिक्रमी की रिपोर्ट बनाकर पेश कर रहा है। जब कि पटवारी हल्का को नियमन की कार्यवाही हेतु अग्रसर होना चाहिए, इसलिए विचारण न्यायालय का आदेश विधि विरुद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमायी जाकर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 30.7.2018 को निरस्त फरमाया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि:- विवादित भूमि पर अपीलांट के पिता के समय से काफी वर्षों पुराना कब्जा चला आ रहा है। इस भूमि के संबंध में पूर्व में न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा निर्णय दिनांक 03.7.97 मुकदमा संख्या 234/91 एवं नायब तहसीलदार खेतड़ी द्वारा मिसल 369/95 में दिनांक 07.12.1995 को अपीलांट के पिता के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधि० 1956 की कार्यवाही डोप की गई है। कानूनन एक बार कार्यवाही डोप होने के बाद उसी भूमि को लेकर पुन धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती। अपीलांट को राजनैतिक कारणों से उसी भूमि के संबंध में बार-बार धारा 91 एल०आर० एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही कर विधि विरुद्ध आदेश पारित कर परेशान किया जा रहा है। विवादित भूमि नियमन योग्य है और पूर्व में विभिन्न न्यायालयों से नियमन की सिफारिश हो चुकी है, इसके बावजूद भी तहसीलदार खेतड़ी द्वारा नियमन की कार्यवाही नहीं की जाकर हल्का पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट के विरुद्ध बेदखली का आदेश पारित किया है, जो विधि विरुद्ध होने से खारिज होने योग्य है। अपीलांट का कब्जा नियमन योग्य है। अतः अपील अपीलांट मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.07.2018 को निरस्त किया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि खसरा खसरा नंबर 782 रकबा 0.91 के रकबा 100 वर्ग मीटर में पक्के मकान बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुना जाकर निर्णय पारित कर किया गया है । पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

49
आत. जिला कलेक्टर
झुंझनू

मेंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। वादग्रस्त भूमि राजकीय भूमि है और अभी तक नियमन नहीं हुआ है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया गया है। लेकिन अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब नोटिस व इस तरह की कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे वादग्रस्त भूमि पर उनका कब्जा पुराना एवं वैद्य साबित होता हो। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी का निर्णय दिनांक 30.07.2018 उनवानी सरकार बनाम मंगलाराम मु0नं0 12/2018 यथावत रखा जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।



^{4P}
(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 29.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

^{4P}
(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
झुंझुनू